तारीख हुक्म	
29/9/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर हुआ कि वादी का दावा अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज होने के बाद वादी द्वारा बाद हाजरी का प्रा. पत्र प्रस्तुत किया था जिसके साथ ही यह प्रा० पत्र पेश किया बावजह हाजरी का प्रा० पत्र 30/11/2021 को स्वीकार किया गया। इसके बाद दावा की पत्रावली 18/4/2022 को इसके बाद दावा की पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत हुई। वादी द्वारा पूर्व के न्यायालय आदेश धारा 212 रा० का० सम्पूर्ण के तहत आवेदन पत्र पेश किया हुआ नहीं था और यह प्रा० पत्र पेश किये तक दावा विचाराधीन नहीं था। इस सम्पूर्ण तथ्य के अवलोकन से जो आदेशिका दर्ज दिनांक 30/11/2021 को जो लिखा गया जो पूर्व में की गई उसमें संदर्भ से लिखा गया जो पूर्व में धारा 212 RTA का प्रा. पत्र पेश किया हुआ नहीं था। इस कारण प्रा. पत्र के नम्बर पर लेने का जो आदेश पारित किया को संदर्भ से हुआ है। यह त्रुटि पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के सामने आने पर इस त्रुटि का पता लगा। अब स्थिति सामने यह आती है कि पूर्व में कोई प्रा. पत्र विचाराधीन नहीं था व आवेदक द्वारा यह प्रा० पत्र अं० धारा 212 RTA का पेश किया तब दावा विचाराधीन नहीं था, दावा अदम हाजरी/अदम पैरवी से खारिज हो चुका था। प्रार्थना पत्र प्री मैच्योर होने से पोषणीय नहीं है। यह पत्रावली बाद हाजरी के जो प्रा. पत्र प्रस्तुत हुआ उसका निर्णय 30/11/2021 को किये जाने के

कारण यह पत्रावली उसके साथ संलग्न से
संलग्न कर दी गई जिसके कारण यह त्रुटि
न्यायालय के सामने नहीं आ सकी। अतः
आदेशिका दिनांक 30/11/2021 को रिव्यू
में न्यायालय मत पर खारिज किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्री मैच्योर होने
के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)